

न्यायालय उप जिला कलक्टर सैपऊ, जिला धौलपुर

पीठासीन अधिकारी - ललित मीना (आर० ए० एस०)

प्रकरण संख्या- 17/2021

1-रामवती देवी पत्नी मुन्नासिंह 2-मुन्नासिंह पुत्र भंवरसिंह जातिगण ठाकुर निवासीगण
ग्राम सैपऊ तहसील सैपऊ जिला धौलपुर (राज०)प्रार्थीगण

बनाम

1- तहसीलदार सैपऊ वहैसियत लैण्ड होल्डरअसल अप्रार्थी

2-कृष्णकान्त पुत्र रामदास जाति वैश्य निवासी कलेक्ट्रेट के सामने धौलपुर तहसील व
जिला धौलपुरतरतीवी अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र वास्ते पत्थरगढी
अन्तर्गत धारा 129 एल.आर.एक्ट

उपस्थिति:- 1-श्री योगेश कुमार शर्मा एडवोकेट(प्रार्थीया)

2-पैरोकार सरकार तहसीलदार सैपऊ.....(अप्रार्थी)

निर्णय


दिनांक:10.11.2022

प्रार्थीया द्वारा प्रार्थना पत्र वास्ते अन्तर्गत धारा 129 इस आशय का पेश किया कि आराजी खसरा नम्बर 3621/3041 रकवा 0.5943 हैक्टेयर वाकेग्राम सैपऊ नम्बर-1 में प्रार्थीया रामवती देवी खसरा नम्बर 3621/3041 वाकेग्राम सैपऊ नम्बर-1 में 34/47 भाग की तथा मुन्नासिंह 8/47 भाग का तथा अप्रार्थी कृष्णकान्त 5/47 भाग का खातेदार काश्तकार है तथा अप्रार्थी कृष्णकान्त को सहखातेदार होने की वजह से पक्षकार प्रकरण बनाया गया है उसके विरुद्ध कोई अनुतोष नहीं चाहा गया है। प्रार्थीगण खसरा नम्बर 3621/3041 वाकेग्राम सैपऊ नम्बर-1 की एकान्तिक रूप से खातेदार काश्तकार है। प्रार्थीया अपनी खातेदारी के खसरा नम्बर 3626/3041 वाकेग्राम सैपऊ नम्बर-1 में हो रही फसल की आवारा पशुओं से सुरक्षा हेतु तार बाउन्ड्री करवाना चाहती है तथा प्रार्थीया ने अप्रार्थी तहसीलदार सैपऊ से पत्थरगढी हेतु अर्सा करीब 15 दिवस पूर्व निवेदन किया था तब अप्रार्थी संख्या-1 ने प्रार्थीया से पत्थरगढी का आदेश श्रीमान के कोर्ट से करने की कहा तत्पश्चात अप्रार्थी संख्या-1 ने प्रार्थीया के खातेदारी के खसरा नम्बर 3626/3041 की पत्थरगढी करने की कहा है। प्रार्थीया अपने खर्चे पर उक्त खसरा नम्बर 3626/3041 की पत्थरगढी करवाना चाहती है जिसकी कि वह खातेदार काश्तकार होने के नाते अधिकारी एवं दावेदार है। उपरोक्त परिस्थिति में खसरा नम्बर 3626/3041 वाकेग्राम सैपऊ नम्बर-1 की पत्थरगढी प्रार्थीया के खर्चे पर किया जाना आवश्यक एवं न्याय संगत है।

अन्त में निवेदन किया कि प्रार्थीया की खातेदारी के खसरा नम्बर 3626/3041 रकवा 0.5943 हैक्टेयर वाकेग्राम सैपऊ नम्बर-1 की प्रार्थीया के खर्चे पर पत्थरगढी करवाई जावे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलव किया गया। अप्रार्थी संख्या-2 की ओर से बाबजूद सूचना कोई उपस्थित नहीं हुआ। अतः अप्रार्थी संख्या-2 के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी। अप्रार्थी संख्या-1 तहसीलदार सैपऊ स्वयं उपस्थित हुये एवं प्रकरण में पैमाईश रिपोर्ट एवं जबाब प्रार्थना पत्र

उपखण्ड अधिकारी
सैपऊ



पेश किया गया। तहसीलदार सैपऊ द्वारा अपने जबाब में अंकित किया कि आराजी खसरा नम्बर 3621/3041 रकवा 0.5943 हैक्टेयर वाकेग्राम सैपऊ नम्बर-1 में रामवती पत्नी मुन्नासिंह हिस्सा 46/47 जाति ठाकुर सा0 देह व कृष्णकान्त पुत्र रामदास हिस्सा 1/47 जाति वैश्य सा0 कलेक्ट्रेट के सामने धौलपुर खातेदार दर्ज रिकॉर्ड है। प्रार्थीया रामवती पत्नी मुन्नासिंह द्वारा खसरा नम्बर 3621/3041 रकवा 0.5943 हैक्टेयर वाकेग्राम सैपऊ नम्बर-1 का सीमांकन दिनांक 15.06.2022 को प्रार्थीया एवं अन्य के समक्ष पटवार मण्डल पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड एवं नक्शा लट्ठा अनुसार किया जा चुका है।

हमने विद्वान अभिभाषक एवं तहसीलदार सैपऊ की उभयपक्षीय बहस सुनी एवं तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो एवं राजस्व रिकॉर्ड का अवलोकन किया। राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी सम्बत् 2076-79 के खाता संख्या 608 के खसरा नम्बर 3621/3041 वाकेग्राम सैपऊ नम्बर-1 पर अंकित आराजी नम्बर पर प्रार्थीया रामवती पत्नी मुन्नासिंह जाति ठाकुर निवासी सैपऊ नम्बर-1 एवं अन्य सहखातेदार के रूप में दर्ज है दस्तावेजों के अवलोकन से हम पूर्णतः सहमत है तथा प्रार्थना पत्र प्रार्थीया स्वीकार करना उचित समझते है।

अतः आदेश है कि प्रार्थना पत्र प्रार्थीया स्वीकार किया जाकर तहसीलदार सैपऊ को निर्देशित किया जाता है कि विवादित आराजी खाता संख्या 608 के खसरा नम्बर 3621/3041 वाकेग्राम सैपऊ नम्बर-1 तहसील सैपऊ के सीमांकन में किये गये निशानात् अनुसार नियमानुसार मुताबिक सीमांकन के निर्धारित राजकीय शुल्क जमा कर उक्त आराजी के पास में स्थित खातेदारों को लिखित में सूचना देते हुये जमाबन्दी एवं राजस्व नक्शे अनुसार पत्थरगढ़ी करवायी जावे। मौका पर्चा तैयार किया जाकर तहसील भू0अभिलेख शाखा राजस्व रिकॉर्ड में रखा जावे। तहसीलदार सैपऊ को तहरीर जारी किया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम किया जाकर हस्व जाप्ता दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक 10.11.2022 को सारे इजलास सुनाया गया ।

(ललित मीना)

उप जिला कलेक्टर
उपखण्ड अधिकारी
सैपऊ
सैपऊ